अनुसूची–14 फर्म सं0–562

आदेश – पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम– 129)

.... से ....तक ।

आदेश – पत्रक– ता0 ....

जिला –गढ़वा विविध वाद सं0– 07/2020–21

केश का प्रकार– प्रतिबंधित सूची से मुक्त करने के संबंध में।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
15/7/2020	आवेदक श्री रणबहादुर सिंह पिता–रामचन्द्र सिंह ग्राम–कल्याणपुर मेरे नाम पर ग्राम–कल्याणपुर के मांग पंजी–2 के पृष्ठ संख्या–73/11 पर खाता संख्या–163 प्लॉट संख्या–1824 रकबा–0.18 3/4 एकड़ भूमि का मांग चल रहा है। इस भूमि को मैनें केवाला द्वारा खरीदी किया गया है। भूमि पर मेरा दखल–कब्जा बना हुआ है परंतु गैरमजरूआ खाता होने के कारण मेरी भूमि को प्रतिबंधित की सूची में डाल दिया गया है। उक्त भूमि को प्रतिबंधित सूची से मुक्त करने का अनुरोध किया गया है। प्राप्त आवेदन पत्र के आलोक में राजस्व उपनिरीक्षक, अंचल अमीन एवं अंचल निरीक्षक से जांच प्रतिवेदन की मांग करें। 15/7/2020 अंचल अधिकारी गढ़वा।	
/8/2020	अभिलेख उपस्थापित किया गया। राजस्व उपनिरीक्षक, अंचल अमीन एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। समर्पित जांच प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि "नामांतरण वाद संख्या–371/2006–07 में पारीत आदेश के आलोक में श्री रण बहादुर सिंह पिता–रामचन्द्र सिंह के नाम पर मांग पंजी–2 के पृष्ठ संख्या–73/11 पर कायम किया गया है तथा नियमित लगान रसीद निर्गत हो रही है। श्री रण बहादुर सिंह के द्वारा इस भूमि को विद्यावती देवी पति–मदन राम से विक्रय पत्र संख्या–1214 दिनांक–24.02.2006 से क्रय किया गया है। विक्रेता की जमाबंदी पृष्ठ संख्या–22/11 पर कायम है, जहां से घटाकर श्री रणबहादुर सिंह के नाम पर नया मांग कायम किया गया है। इस तरह उक्त भूमि खतियान में गैरमजरूआ मालिक भूमि दर्ज होने के बावजुद भी रैयत के नाम से विधिवत तरीकें से हस्तांतरित होकर रैयती स्वरूप प्राप्त हो चूकी है। करीब 35 वर्षों से विभिन्न रैयतों के दखल–कब्जे में है एवं पंजीकृत विक्रय पत्रों के माध्यम से हस्तांतरित होती रही है। वर्तमान में रैयत रणबहादुर सिंह ने भी विक्रय पत्र के माध्यम से खरीदा है एवं नामांतरण कराकर दखल–कब्जे में है। यह भूमि इनके चाहरदिवारी के अन्दर है। वर्ष 2018 में प्रेषित की गई प्रतिबंधित भूमि की सूची में यह दर्ज किया गया है कि खतियान उपलब्ध नही रहने के कारण खाता संख्या–163 के सभी प्लॉट प्रतिबंधित माने जायेगें जिस कारण उक्त प्लॉट का निबंधन नही हो पा रहा है। प्रतिबंधित सूची बनाते समय प्लॉटवार भूमि की स्थिति की जांच नहीं हो सकी है, जिसके कारण वैसी गैरमजरूआ भूमि जो विभिन्न रैयतों को वैध तरीके से बन्दोवस्त है या लगान निर्धारण है ऐसी भूमि को भी प्रतिबंधित सूची में अंकित कर दिया गया है जो विभागीय प्रावधान के अनुरूप नही है। श्री रणबहादुर सिंह के नाम पर पंजी–2 के पृष्ठ संख्या–73/11 पर कायम जमाबंदी मौजा–कल्याणपुर के खाता संख्या–163 प्लॉट संख्या–1824 रकबा– 0.18 3/4 एकड़ भूमि को प्रतिबंधित सूची से मुक्त करने की अनुशंसा की जाती है।"	

राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा प्रस्तावित भूमि का प्रतिबंधित सूची से मुक्त करने स्थल एवं राजस्व कागजात के जॉचोपरान्त विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन समर्पित किया गया है जो निम्न प्रकार है

क्र0सं0	जांच का बिन्दु	प्रतिवेदन
1	2	3
01	उक्त भूमि का खतियानी प्रकृति क्या हैं ?	गैरमजरूआ मालिक
02	अभिलेख में दर्ज प्रत्येक प्लॉट का रकबा क्या हैं ? तथा इस भूमि की वर्तमान स्थिति क्या हैं ? यथा घर, खेत, सेहन, बॉड़ी आदि	1.21 एकड़ चाहार दिवारी के अन्दर है
03	मंग पंजी–2 में कोई छेड़–छाड तो नहीं है। उसकी छायाप्रति संलग्न करें।	नहीं P.N0- 161/1, 22/11, 73/11, की छायाप्रति संलग्न
04	वर्ष 2016 के पूर्व कितने वर्षों का लगान लिया गया है। रसीदों की प्रतिलिपि संलग्न करें	2006–07 से 2015–16 तक
05	क्यों यह सरकारी भूमि नहीं है ?	नहीं है।
06	इस भूमि पर कोई विवाद है या नहीं तथा कोई टाईटलसूट चल रहा हैं या नहीं	नहीं, टाइटल सूट नही चल रहा है।
07	प्रतिबंधित सूची में डालने का क्या आधार था ?	खाता – 163, गैरमजरूआ मालिक होने के कारण।
08	मंतव्य/अनुशंसा	वर्तमान में भूमि आवेदन के दखल कब्जे में कोई विवाद नहीं है। सार्वजनिक उपयोग बाहर है।

विदित हो कि सरकार के सचिव राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग झारखण्ड रांची के ज्ञापांक–570 दिनांक–31.07.2018 एवं अपर समाहर्त्ता, गढ़वा के पत्रांक–1856 दिनांक–14.09.2018 द्वारा प्राप्त पत्र के आलोक में इस कार्यालय के पत्रांक–1338 दिनांक–12.10.2018 द्वारा अंचल के सभी गैरमजरूआ भूमि को प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि की सूची अपर समाहर्त्ता, गढ़वा को भेजा गया है, जिसमें ग्राम–कल्याणपुर के वर्णित खाता की भूमि भी शामिल है।

अतः राजस्व उपनिरीक्षक, अंचल अमीन एंव अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन एवं अभिलेख में संलग्न आवेंदन एवं राजस्व कागजात के आधार पर ग्राम–कल्याणपुर के खाता संख्या–163 प्लॉट संख्या 1824 रकबा–0.18 3/4 एकड भूमि का श्री रणबहादुर सिंह पिता–रामचन्द्र सिंह ग्राम–कल्याणपुर के नाम से प्रतिबधित सूची की भूमि को मुक्त करने हेतु सक्षम स्तर से निर्णय हेतु अभिलेख उप समाहर्त्ता, भूमि सुधार गढ़वा को भेजें।

लेखापित एंव संशोधित।

अंचल अधिकारी,
गढ़वा।

अंचल अधिकारी,
गढ़वा।

Scanned with CamScanner

कार्यालय– अंचल अधिकारी, गढ़वा।

पत्रांक 623 / दिनांक 06.08.2020

प्रेषक

अचल अधिकारी,

गढ़वा।

सेवा में,

उप समाहर्त्ता भूमि सुधार,

गढ़वा।

विषयः– विविध वाद संख्या–07/2020–21 श्री रणबहादुर सिंह पिता–रामचन्द्र सिंह ग्राम–कल्याणपुर का मूल अभिलेख का प्रेषण।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विविध वाद संख्या–07/2020–21 श्री रणबहादुर सिंह पिता–रामचन्द्र सिंह ग्राम–कल्याणपुर का मूल अभिलेख इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है। कृप्या प्राप्ति स्वीकार की जाये।

विश्वासभाजन

6/8/2020

अंचल अधिकारी

गढ़वा।

06.08.2020

अनुलग्लक–यथोक्त।

7/8/2020

Scanned with CamScanner